संख्या–501 / स.क / 2004–03(बजट) / 2004

प्रेषक,

एस. के. मुट्टू,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

समाज कल्याण अनुभाग।

देहरादून, दिनांक 24 मार्च, 2004

**विषयः पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं / मदों में संलग्न पुनर्विनियोग प्रस्तावों के अनुसार स्वीकृत आयोजनागत पक्ष में रू. 48,000 / – एवं आयोजनेत्तर पक्ष में रू. 21,19,000 / – कुल रू. **21,67,000 / – (रूपये इक्कीस लाख सड़सठ हजार मात्र)** की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 में व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जायेगा।

3. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–2004 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत संलग्नकों के कॉलम–5 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा तथा पुनर्विनियोजन कॉलम–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की मद में हुई बचतों से वहन किया जायेगा।

4. यह सुनिश्चित किया जाये कि पुनर्विनियोग से उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का समायोजन यथाव हो।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2360 / वि.अनु–2 / 2004 दिनांक 20 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

( एस. के. मुट्टू )
प्रमुख सचिव।

संख्याः–501–1 / स.क / 2004–03(बजट) / 2004 / तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

4. महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री, समाज कल्याण, उत्तरांचल।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, समस्त जनपद।
8. निदेशक, एन.आई.सी., उत्तरांचल, देहरादून।
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

( गरिमा रौंकली )
अनु सचिव

Bhan-bgt-03-04